

18/5/18

पुनः

पञ्जाब की CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत के  
को स्थानान्तरित की जाती है। पञ्जाब दिनांक 18/5/18  
के स्थान पर दिनांक 26.6.18

पञ्जाब के लोक अदालत के  
के प्रस्तुत है, तदनुसार  
विसार (विप) के

पञ्जाब कलक्टर (SBO) चौहटन

26.6.18

पञ्जाब की जनशुनवाई के तहत लोक अदालत के  
के लोक अदालत के पेश हुई मूलवाद विप  
किया जा चुका है। इस के लिए मैं आशा  
कर रहा हूँ कि यह सब सकारात्मक रूप से  
हारा जारी रखें। दिनांक 24.2.16 को निरस्त  
किया जाता है। पञ्जाब कलक्टर  
चौहटन

पञ्जाब कलक्टर (SBO) चौहटन